रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2118] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936
No. 2118] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2666(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ.655(अ), तारीख 7 जुलाई, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, "पशुधन उत्पाद" और निम्नलिखित ऐसे उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के प्रक्रिया अधिसूचित करती है :—

1. "पशुधन उत्पादों" शब्द में निम्नलिखित उत्पाद सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(i) सभी प्रकार का मांस और मांस उत्पाद जिसके अंतर्गत मछली, शीतित और हिमशीतित (फ्रोजेन) कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर का मांस ;

(ii) कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर के ऊतक या अंग ;

(iii) अंडे और अंडा चूर्ण ;

(iv) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद ;

(v) गोकुलीय, भेड़कुलीय और बकरा कुलीय भ्रूण, अंड या शुक्र ;

(vi) पशु मूल के पालतू पशु खाद्य उत्पाद ;

(vii) सभी जलचर पशुओं के जिसके अंतर्गत मछली, क्रस्टेशियन और मोलस्क भी है, अंडे और बीज ;

(viii) सूअर, हॉग या सूकर के कड़े बाल और बाल ; सूअर, हाग और सूकर के कड़े बाल और बाल का अपशिष्ट ; बैल के बाल और अन्य ब्रश बनाने वाले बाल, याक के पूंछ के बाल ; ब्रश बनाने वाले बाल, व्हेल की हड्डी के बाल, हड्डी और हड्डी उत्पाद जिसके अंतर्गत सींग का गूदा, पिसी हुई हड्डियां, हड्डी पेय, अस्थिकि, सींगों का गूदा और उसका ऐसा भाग जो पिसा हुआ नहीं है, अस्थि चूर्ण, खुर का चूर्ण, सींग का चूर्ण, सींगों, खुरों, पंजों, नाखूनों और चोंच अविनिर्मित या साधारण तौर पर तैयार की गई

(किंतु आकार में न काटे गए) ; हिरण के शाखायुक्त भृंग ; आक्स गॉलस्टोन (बैल के पित्त अश्मरी) ; और, यथास्थिति, गोकुलीय, भेड़, बकरी, कुक्कुट और सुअर तथा किसी अन्य पशु से अभिप्राप्त हिमशीतित जरायुनाल (प्लेसेंटा) ;

(ix) पक्षियों की कच्ची त्वचा और अन्य अंग, उनके पंखों या कोमल पिच्छ, पंख और पंखों के अंग (बिना कटाई छंटाई के या उसके साथ) और कोमल पिच्छ ;

(x) गोकुलीय (भैंसे सहित) या अश्वीय पशुओं, भेड़ या मेमने की कच्ची खाल और त्वचा, अन्य कच्ची खाल (बकरियों, सुअर की त्वचा), ताजा या नमकीन शुष्क, चूना लगा हुआ, अम्लीय या अन्यथा संरक्षित किंतु बिना सिझाए हुए, चर्मपत्र बनाए गए रंग और ज्यादा तैयार किए गए बालों सहित या उसके बगैर या रोंए सहित या उसके अलग करके ;

(xi) कच्ची फर त्वचा (फर चर्म व्यापारियों के उपयोग के लिए उपयुक्त सिर पूंछ, पंजे और टुकड़े तथा कतरने सहित) ;

(xii) पक्षियों के पंखों से बनी बेडमिंटन की शटल कॉक, पंखों का चूर्ण और पाउडर ;

(xiii) गोकुलीय, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुक्कुट, सूअर, खरगोश, मूषक, चूहा, कुत्ता और बिल्ली जैसे पशुओं का सीरम और प्लाज्मा ;

(xiv) पशु चारा और मछली का भोजन जिनमें गोकुलीय, भेड़कुलीय और बकराकुलीय दुग्ध और दुग्ध उत्पाद अंतर्विष्ट हों, मांस और मांस उत्पाद, कुक्कुट, सूअर, भेड़ और बकरी के उत्तक तथा मछली उत्पाद ;

(xv) घोड़े के बाल तथा घोड़े के बालों का अपशिष्ट चाहे वह सहायक सामग्री के साथ या उसके बगैर पश्त के रूप में रखे गए है या नहीं ;

(xvi) अनिर्मित या साधारण रूप से तैयार किंतु अन्यथा अनिर्मित मूंगा और वैसी ही सामग्री अनिर्मित या साधारण रूप में तैयार किंतु आकार में न काटे गए मोलस्क का खोल, पपड़ी या चर्माखाड़ा और कटलबोन, उसका पाउडर और अपशिष्ट ;

(xvii) औषधियां (गोकुलीय श्वेतक और पशुमूल की औषधि) और नैदानिक (जिसमें अंतजीव प्रयोजन के लिए रक्त या सीरम अंतर्विष्ट हो) ;

(xviii) जिलेटिन शीट (जिसके अंतर्गत आयताकार या वर्गाकार जिलेटिन भी है, चाहे उसकी सतह निर्मित) या रंगीन हो या न हो और जिलेटिन व्युत्पादित, आइजिंग ग्लास ; केसीन श्लेषण को छोड़कर पशुमूल के अन्य श्लेषण ;

(xix) बिना बाल के गोकुलीय (जिसमें भैंस भी है) या अश्वीय पशुओं की चर्म या अभिशप्त खाल और त्वचा चाहे विभाजित हो या न हो किंतु आगे और तैयार न की गई ।

(xx) अलग किए गए अथवा नहीं, पर आगे तैयार न किए गए, ऊपर बिना ऊन वाले भेड़ अथवा मेमने के सिझाए अथवा पपड़ी बनाई गई खाल एवं त्वचा, अलग किए गए अथवा नहीं, पर आगे न तैयार किए गए ऊपर बिना ऊन अथवा बाल वाले अन्य पशुओं के सिझाए अथवा पपड़ी बनाई गई खाल एवं त्वचा (बकरी, सूअर, सरीसृप आदि के) ;

(xxi) चर्म पत्र बनाए गए चमड़े सहित, सिझाने अथवा पपड़ी बनाने के बाद आगे तैयार गोकुलीय (भैंस सहित) अथवा अश्वीय पशुओं जिनके ऊपर बाल न हो, अलग किए गए अथवा नहीं, चर्म पत्र बनाए गए चमड़े सहित, सिझाने अथवा पपड़ी बनाने के बाद आगे तैयार भेड़ अथवा मेमने, जिसके ऊपर ऊन न हो, अलग किए गए अथवा नहीं, चर्म पत्र बनाए गए चमड़े सहित सिझाने अथवा पपड़ी बनाने के बाद आगे तैयार अन्य पशुओं जिनके ऊपर ऊन अथवा बाल न हो, अलग किए गए अथवा नहीं (बकरी, सूअर, सरीसृप आदि सहित) ;

(xxii) सांभर (जिसमें संयोजन सांभर भी है) का चमड़ा, पेटेंट चमड़ा तथा पेटेंट लेमिनेशनयुक्त चमड़ा, धातुकृत चमड़ा ;

(xxiii) पट्टी में, चादर अथवा फीते में चमड़ा फाइबर के आधार पर चमड़े के मिश्रण, चाहे रोल में हो अथवा नहीं, पेअरिंग तथा चमड़े के अन्य अपशिष्ट अथवा मिश्रित चमड़े, जो चमड़े की वस्तुओं, चमड़े की बुकनी पाउडर चूर्ण के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(xxiv) असंकलित या संकलित (अन्य सामग्रियों को जोड़कर या बिना जोड़े) सिझाए अथवा प्रसाधित किए गए फर की खाल (सिर, पूंछ, पंजे तथा अन्य टुकड़े अथवा टुकड़े सहित) ;

(xxv) अनधुने तथा गंदे ऊन, अनसुलझे तथा गंदे बारीक तथा कठोर पशु बाल, गारनेटेड स्टॉक को छोड़कर, सूत सहित अपशिष्ट अथवा ऊन अथवा बारीक अथवा कठोर पशु बाल ;

(xxvi) किसी पशु की पर्याणकारिता और सज्जा की कोई वस्तु, ट्रंक, सूटकेस, वेनिटी केस, ब्रीफकेस, थैली, पाउच, हाथ का बैग इत्यादि ;

(xxvii) मशीनरी अथवा यांत्रिकी उपकरणों में अथवा अन्य तकनीकी उपयोगों के लिए चर्म संबंधी कपड़ों के सामान तथा वस्त्र संबंधी वस्तुएं, चर्म के अथवा मिश्रित चर्म, एक प्रकार के चर्म संबंधी वस्तु अथवा मिश्रित वस्तु ;

(xxviii) चर्म अथवा मिश्रित चर्म (स्ट्रेप वेल्ट, कवर) संबंधी अन्य सामान, परिधान संबंधी सामान, फर्सकिन संबंधी कपड़ों के सामान तथा अन्य वस्तु ;

(xxix) गोल्ड बीटर के चर्म, ब्लाडर, टेंडन संबंधी वस्तुएं, परिदान संबंधी वस्तुएं, फसीकन संबंधी कपड़ों के सामान और अन्य वस्तुएं, कृत्रिम फर तथा उनकी वस्तुए ;

(xxx) ऊन अथवा अच्छे अथवा मोटे पशु बाल के गारनेटेड स्टाक, धुने अथवा साफ किए गए ऊन और अच्छे अथवा मोटे पशु बाल (आंशिक रूप से साफ बाल) धुने हुए ऊन की सूत जिसे खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया, अच्छे पशु बाल संबंधी सूत (धुने हुए अथवा साफ किए हुए) जिसे खुदरा बिक्री के लिए नहीं रखा गया, ऊन संबंधी सूत अथवा अच्छे पशु बाल जिसे खुदार बिक्री के लिए रखा गया, मोटे पशु बाल अथवा अश्व बाल संबंधी सूत (गिंपड अश्व बाल संबंधी सूत जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा नहीं गया है, के सहित) धुने ऊन संबंधी बुने हुए कपड़े अथवा धुने हुए अच्छे पशु बाल, साफ ऊन अथवा धुने हुए अच्छे पशु बाल के बुने हुए कपड़े, मोटे पशु बाल अथवा अश्व बाल संबंधी बुने हुए कपड़े ।

2. इन उत्पादों का आयात केवल इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार इस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला स्वच्छता आयात परमिट के आधार पर ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

(पैरा 2 देखिए)

भारत में पशु धन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया

भारत में सभी पशुधन उत्पादों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) कोई भी पशुधन उत्पाद खंड (3) के अधीन जारी विधिमान्य स्वच्छता आयात परमिट के बगैर नहीं किया जाएगा ।

(2) भूमि मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग द्वारा पारेषणों का आयात करने के लिए सभी आवेदन प्ररूप 'क' या प्रारूप 'ख', जो भी सुसंगत हों, में किए जाएंगे और तीन प्रतियों में संयुक्त सचिव, व्यापार प्रभाग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाएंगे ।

(3) (i) पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट तभी जारी किया जाएगा यदि विस्तृत आयात जोखिम विश्लेषण करने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारियों का यह समाधान हो जाता है कि पारेषण माल के आयात से इस देश के पशु और मानव जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii) आयात जोखिम विश्लेषण इस विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा जोखिम विश्लेषण के अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा और विश्लेषण विनिर्दिष्ट उत्पाद और निर्यात करने वाले देश में रोग की विद्यमान स्थिति और साथ ही भारत में रोग की स्थिति के संदर्भ में किया जाएगा ।

(iii) यदि आयात जोखिम विश्लेषण के परिणामों से दर्शित होता है कि विनिर्दिष्ट उत्पाद को लाने से एक या अधिक विनिर्दिष्ट ऐसे रोगों का आने का जोखिम है जो देश में विद्यमान नहीं है और जिससे इस देश की मानव और पशु जनसंख्या के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो परमिट जारी करने के इंकार कर दिया जाएगा ।

(iv) आयात परमिट में ऐसी विनिर्दिष्ट शर्तें अधिकथित की जाएगी जो पारेषण की बाबत, जिसके अंतर्गत लदाई पूर्व प्रमाणीकरण और करंतीन जांच भी है, पूरी की जानी होगी ।

(v) परमिट से करंतीन निरीक्षण, नमूना और परीक्षण के संबंध में आयात पश्चात् की अपेक्षाओं को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(vi) स्वच्छता आयात परमिट, ताप अभिक्रियित दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मछली उत्पाद, कुक्कुट, सूअर, भेड़ और बकरी के मांस उत्पाद, पालतू पशु आहार, प्रसंस्कृत सूअर के कड़े बाल और प्रसंस्कृत पंख जैसे प्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों के आयात हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

परंतु अप्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों के आयात के लिए जारी परमिट की विधिमान्यता छह मास की होगी किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आयातकर्ता के अनुरोध पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

(vii) उपरोक्त क्रम सं. (xv) से (xxiv) पर सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों के लिए स्वच्छता आयात परमिट अपेक्षित नहीं होगा । तथापि क्रम सं. (xv) से (xxiv) पर उपदर्शित पशुधन उत्पादों के आयात को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित पशु करंतीन और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन के भारसाधक अधिकारी या पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य

पशु चिकित्सा अधिकारी से, माल की जांच करने के पश्चात् प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विनियमित किया जाएगा ।

(viii) यह और कि क्रम सं. (xxv) से (xxx) पर उपदर्शित पशुधन उत्पादों के आयात के लिए न तो स्वच्छता आयात परमिट और न ही संबंधित करंतीन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा ।

(4) भारत में सभी पशुधन उत्पादों का आयात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बंगलौर और हैदराबाद स्थित समुद्रपत्तनों या विमान पत्तनों के माध्यम से किया जाएगा जहां पशु करंतीन और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन अवस्थित हैं ।

परंतु जलचर उत्पादों, अंडों, बीजों का आयात सभी जलचर पशुओं का जिसके अंतर्गत मछली, कठोर पपड़ी वाले जलचर, मोलस्क का आयात विशाखापटनम और कोच्चि स्थित समुद्रपत्तनों या विमानपत्तनों पर भी अनुज्ञात होगा ।

परंतु यह और कि ऐसे विनश्वर मछली से संबंधित मदों का आयात जो अन्यत्र रूप से मानव उपयोग के लिए हैं । किंतु प्रजनन या संवर्धन प्रयोजनों से संबंधित बीज सामग्री को छोड़कर पेट्रापोल, जिला 24 परगना, पश्चिमी बंगाल की भूमि पर सड़क के माध्यम से अनुज्ञात होगा ।

(5) (i) प्रवेश स्थान पर आगमन के समय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों और स्वच्छ आयात परमिट में अधिकथित विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, पशुधन उत्पाद की पशु करंतीन और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र के भारसाधक अधिकारी अथवा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

(ii) निरीक्षण और जांच, जहां कहीं अपेक्षित हो, के पश्चात् संबंधित करंतीन या पशुचिकित्सा प्राधिकारी भारत में पशुधन उत्पाद के प्रवेश के लिए करंतीन संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेगा अथवा, जनहित में यदि अपेक्षित हो, तो मूल देश में उसे नष्ट करने या उसकी वापसी का आदेश देगा ।

(iii) जहां कहीं पशुधन उत्पाद के बार में विसंक्रमण या कोई अन्य उपचार अपेक्षित समझा जाता है वहां आयातकर्ता सम्यक् रूप से प्राधिकृत करंतीन या पशुचिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण के माध्यम से अपने स्वयं के या उसके खर्चे पर परेषित माल को विसंक्रमण अथवा अन्य उपचार की व्यवस्था करेगा ।

(6) आयातकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह -

(क) पशुधन उत्पाद को संबंधित पशु करंतीन और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र में या करंतीन या पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा यथानिदेशित उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत निरीक्षण, विसंक्रमण या उपचार अथवा जांच संबंधी स्थान पर लाए ;

(ख) परेषित माल को खोले, पुनः पैक करे और पशु करंतीन केन्द्र में लादे या वही उसे खाली करे तथा उस पर मुहर लगाए ; और

(ग) विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पशु करंतीन या पशुचिकित्सा अधिकारी के निदेशों के अनुसार निरीक्षण तथा उपचार या जांच के बाद उसे हटाएं ।

(7) केन्द्रीय सरकार, लोक हित में, किसी भी पशुधन उत्पाद के आयात से संबंधित अनुमति प्रदान करने के बारे में अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों से, छूट प्रदान कर सकेगी ।

प्ररूप क

व्यक्तिगत उपभोग के लिए पशुधन उत्पादों के आयात हेतु परमिट के लिए आवेदन

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
व्यापार प्रभाग,
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

अधोहस्ताक्षरी, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पशुधन उत्पादों के आयात को प्राधिकृत करने वाले परमिट के लिए आवेदन करता है :-

(कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/टाइप करें)

1. आयात किए जाने वाले पशुधन उत्पादों का नाम और सही विवरण :
2. परेषित माल का विवरण तथा उसकी मात्रा :
3. परेषक का नाम और पता :
4. आयातकर्ता का नाम और पता :
5. देश और स्थान जहां से उत्पाद किया जाता है :
6. देश जहां से भारत में आयात किया जाता है :
7. जहाज पर माल चढ़ाने वाले विदेश पत्तन :
8. भारत में परेषण माल के आगमन की अनुमानित तिथि :
9. भारत में प्रवेश के स्थान का नाम (विमानपत्तन/ बंदरगाह / स्थल उत्पाद शुल्क केन्द्र*)

घोषणा :-

मैं घोषणा करता हूं कि दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है ।

मैं इसमें आवेदित स्वच्छता आयात परमिट में यथा विनिर्दिष्ट सभी कागजपत्रों तथा प्रमाणपत्रों को, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं ।

आयातकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :
डाक का पता :

स्थान :-
तारीख :-
*जो लागू नहीं हो, उसे काट दें ।

प्रारूप ख

व्यापार और विपणन के लिए पशुधन उत्पादों के आयात हेतु परमिट के लिए आवेदन

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
व्यापार प्रभाग,
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

अधोहस्ताक्षरी, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पशुधन उत्पादों के आयात को प्राधिकृत करने वाले परमिट के लिए आवेदन करता है :-

1. आयातकर्ता का नाम और पता

2.

क्रम सं.	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड प्रणाली) के अनुसार पशुधन उत्पादों का सही विवरण	उस पशुधन के ब्यौरे जिससे उसे उत्पादित किया गया है	मात्रा	
			पैकेटों की संख्या	कुल भार / आयतन
1	2	3	4(क)	4(ख)

3. आयात की जाने वाली पशुधन उत्पादों/ सामग्री की पहचान स्थापित करने वाले पशुधन उत्पादों के उत्पादक का कैटेलॉग :
4. उत्पादक का नाम और पता :
5. परेषक का नाम और पता :
6. वह देश और स्थान जहां पशुधन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है :
7. वह देश जहां भारत में आयात किया जाता है :

8. जहाज पर माल चढ़ाने वाला विदेशी पत्तन
9. हवाई अड्डा/ समुद्री पत्तन/ स्थल सीमाशुल्क केन्द्र का नाम (प्रवेश स्थान) :

घोषणा :-

मैं घोषणा करता हूं कि दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है ।

मैं उन शासकीय दस्तावेजों या प्रमाणपत्र को, जो स्वच्छता आयात अनुमति में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं ।

आयातकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

डाक का पता :

स्थान :
तारीख :

[फा.सं.110-2/2013-व्यापार]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.655(अ) तारीख 7 जुलाई, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ.351(अ) तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

S.O. 2666(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898) and in supersession of notification S.O. 655(E) dated the 07th July,2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the "live-stock products" and procedure for the issue of sanitary import permit for import of such products as follows:-

1. The word "live-stock products" shall include the following products, namely:-

(i) Meat and meat products of all kinds including fresh, chilled and frozen meat of poultry, sheep, goat and pig;
(ii) Tissue or organs of poultry, sheep, goat and pig;
(iii) Egg and egg powder;
(iv) Milk and milk products;
(v) Bovine, ovine and caprine embryos, ova or semen;
(vi) Pet food products of animal origin;
(vii) Eggs and seeds of all aquatic animals including fish, crustaceans and molluscs;
(viii) Bristles and hair of pigs hogs or boars; waste of pigs; hogs or boars bristles and hair; badge hair and other brush making hair; yak tail hair; brush making hair; whale bone hair; Bones and bone products including horn cores, crushed bones; Bone grist; ossein; horn cones and part thereof not crusted; bone meal; hoof meal; horn meal; hornes, hooves, claws, nails and beaks unworked or simply prepared (but not cut to shape); antlers; ox gallstones; and frozen placenta; obtained from bovine, sheep, goat, poultry and pig and any other animals as the case may be;

(ix) Raw skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not trimmed edges) and down;

(x)Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, sheep or lamb, other raw skins (skins of goats, swine), fresh or salted dried, limed, pickled, or otherwise preserved but not tanned, parchment-dressed or further prepared, whether or not de-haired or split with wool on or split;

(xi) Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers use);

(xii) Badminton shuttle cock, feather meal and powder made from birds feather;

(xiii) Serum; and plasma of animals like bovine, goat, sheep, horse, poultry, pig, rabbit, mice, rat, dog and cat;

(xiv) Animal feed and fish feed containing milk and milk products of bovine, ovine, caprine, meat and meat products, tissues, organs of poultry, pig, sheep, goat, fish and fish products;

(xv) Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material;

(xvi) Coral and similar materials, un-worked or simply prepared but not otherwise worked, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle bone, un-worked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof;

(xvii) Medicaments (bovine albumin and drug of animal origin) and diagnostics (containing blood or serum fractions for in vitro application);

(xviii) Gelatine (including gelatine in rectangular or square) sheets, whether or not surface worked or coloured and gelatine derivatives, isinglass; other glues of animal origin; excluding casein glues;

(xix) Tanned or curst hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared;

(xx) Tanned or curst hides and skins of sheep or lamb without wool on, whether or not split, but not further prepared, tanned or curst hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared (of goat, swine, reptile, etc.);

(xxi) Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals without hair on, whether or not split. Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment dressed leather, of sheep or lamb without wool on, whether or not split, leather further prepared after tanning of crusting, including parchment dressed leather of other animals, without wool or hair on, whether or not split (of goat, swine, reptile, etc.);

(xxii) Chamois (including combination chamois) leather, patent leather and patent laminated leather, metalised leather;

(xxiii) Composition of leather with a basis of leather or leather fiber, in slabs, sheets or strips, whether or not in rolls, parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for manufacture of leather articles, leather dust powder and flour;

(xxiv) Tanned or dressed furskins (including head, tails, paws and other pieces or cuttings) unassembled, or assembled (with or without the addition of other materials);

(xxv) Wool not carded or combed, fine or coarse animal hair not carded or combed, waste or wool or of fine or coarse animal hair including yarn waste excluding gamete stock;

(xxvi) Saddlery and harness of any animal of any material, trunks, suitcases, vanity cases, brief cases, sachet, pouches, hand bags etc.;

(xxvii) Articles of apparel and clothing accessories of leatheries, of leather or of composition leather, articles of leather or of composition leather of a kind in machinery or mechanical appliances or for other technical uses;

(xxviii) Other articles of leather or of composition leather (straps, welt, covers) articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin;

(xxix) Articles of gut of gold beater's skin, of bladders, of tendons, articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin, artificial fur and articles thereof;

(xxx) Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair, wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments), yarn of carded wool not put up for retail sale yarn of combed wool not put up for retail sale, yarn of fine animal hair (carded or combed) not put up for retail sale, yarn of wool or of fine animal hair put for retail sale, yarn of coarse animal hair or of horse hair (including gimped horsehair yarn whether or not put up for retail sale), woven fabrics of carded wool or carded fine animal hair, woven fabrics of combed wool or carded fine animal hair, woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.

2. The import of these products shall be allowed only against a sanitary import permit to be issued by this Department as per the procedure laid down in the Schedule annexed to this notification.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE
(see para 2)

Procedure for import of livestock products into India

All live-stock products shall be imported into India subject to the following conditions, namely:-

(1) No live-stock product shall be imported into India without a valid sanitary import permit issued under clause (3).

(2) All applications for a permit to import consignments by land, air or sea shall be made in either Form A or Form B, whichever is relevant, and sent in triplicate to the Joint Secretary, Trade Division, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India.

(3) (i) The sanitary import permit shall be issued for import of livestock products if, after a detailed import risk analysis, the concerned authorities are satisfied that the import of the consignment will not adversely affect the health of the animal and human populations of this country.

(ii) The import risk analysis shall be conducted by the concerned officers of the Department on the basis of internationally recognised scientific principles of risk analysis and the analysis shall be conducted with reference to the specific product and the disease situation prevailing in the exporting country vis-a-vis the disease situation in India.

(iii) The issue of permits shall be refused if the results of the import risk analysis show that there is a risk of the specific product bringing in one or more specific diseases, which are not prevalent in the country and which could adversely affect the health and safety of the human and animal populations of this country.

(iv) The import permit shall lay down the specific conditions that will have to be fulfilled in respect of the consignment, including pre-shipment certifications and quarantine checks.

(v) The permit shall also specify the post-import requirements with regard to quarantine inspections, sampling and testing.

(vi) The Sanitary Import Permit shall be valid for a period of one year for import of processed livestock products such as heat treated milk and milk products, fishery products, meat products of poultry, pig, sheep and goat, pet food, processed pig bristles and processed feather.

Provided that validity of permit issued for import of unprocessed livestock products shall be valid for six months but may be extended by the Central Government for a further period of six months, on request from the importer and for reasons to be recorded in writing.

(vii) Sanitary Import Permit will not be required for the livestock products listed at sl. no. (XV) to (XXIV) above. However, import of livestock products indicated at sl. no. (XV) to (XXIV) will be regulated against the production of No Objection Certificate from the Officer-In-Charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations located at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata or any other veterinary officer duly authorized by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries after inspection of the goods.

(viii) Further, import of livestock products indicated at sl. No. (XXV) to (XXX) neither sanitary import permit nor no objection certificate of the concerned Quarantine Officer will be required.

(4) All livestock products shall be imported into India through the seaports or airports located at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore and Hyderabad where the Animal Quarantine and Certification Services Stations are located.

Provided that the import of aquatic products, eggs, seeds, of all aquatic animals including fish, crustaceans, molluscs, the import shall also be allowed through the sea ports or airports located at Visakhapatnam and Kochi.

Provided further that in case of import of perishable fish items exclusively meant for human consumption but excluding seed material for breeding or rearing purposes, the import shall be allowed to land at Petrapole, District North 24 Paraganas, West Bengal, through land route.

(5) (i) On arrival at the entry point, the livestock product shall be inspected by the Officer-in-charge of the Animal Quarantine and Certification Services Station or any other veterinary officer duly authorised by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, wherever required, in accordance with the specific conditions laid down in the sanitary import permit and with general guidelines issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries from time to time.

(ii) After inspection and testing, wherever required, the concerned quarantine or veterinary authority shall accord quarantine clearance for the entry of the livestock product into India or, if required in public interest, order its destruction or its return to the country of origin.

(iii) Wherever disinfection or any other treatment is considered necessary in respect of any livestock product, the importer shall, on his own or at his cost through an agency approved by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, arrange for disinfection or other treatment of the consignment, under the supervision of a duly authorised quarantine or veterinary officer.

(6) It shall be the responsibility of the importer -

(a) to bring the livestock product to the concerned Animal Quarantine and Certification Services Station, or to the place of inspection, disinfection or treatment or testing as directed by the Quarantine or veterinary officer duly authorized on his behalf;

(b) to open, repack and load into or unload from the Animal Quarantine Station and seal the consignment; and

(c) to remove them after inspection and treatment or testing, according to the directions of the Quarantine or veterinary officer duly authorized by the Department.

(7) The Central Government may, in public interest, relax any of the conditions specified under this Schedule relating to the permit in relation to the import of any live-stock product.

FORM A

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT LIVE-STOCK PRODUCTS FOR PERSONAL CONSUMPTION

To
The Joint Secretary
Trade Division,
Department of Animal Husbandry and Dairying,
Ministry of Agriculture,
Government of India
Krishi Bhawan,
New Delhi – 110001

The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of live-stock products as per details given below —

(Please write or type in block letters)

1. Name and exact description of live-stock products to be imported:
2. Description of the consignment and quantity:
3. Name and address of the consignor:
4. Name and address of the importer:
5. Country and locality in which produced:
6. Country from which imported into India:
7. Foreign port of shipment:
8. Approximate date of arrival of the consignment in India:
9. Name of (airport/seaport/land customs station*) point of entry in India:

DECLARATION

I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to produce all documents and certificates, if any, as specified in the sanitary import permit applied for herein.

Signature of the importer or his authorized agent.
Name:
Postal address :

Place:
Date:

* strike out whichever is not applicable.

Form B

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT LIVE-STOCK PRODUCTS FOR TRADING AND MARKETING

To
The Joint Secretary
Trade Division,
Department of Animal Husbandry and Dairying,
Ministry of Agriculture,
Government of India
Krishi Bhawan,
New Delhi – 110001

The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of live-stock products as per details given below –

1. Name and address of the importer:

2.

S. No.	Exact description of livestock products with Indian Trade Classification (Harmonized System)	Details of livestock from whom it is produced	Quantity	
			Number of packages	Total weight/volume
1	2	3	4(a)	4(b)

3. Catalogue of livestock products producer establishing identity of the livestock products/ material to be imported:
4. Name and address of the producer:

5. Name and address of consignor:
6. Country and locality in which livestock products produced:
7. Country from which imported into India:
8. Foreign port of shipment:
9. Name of airport/seaport/land customs station (entry point);

Declaration:

I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to produce any official document or certificate as may be specified in the sanitary import permission.

Signature of the importer or his authorized agent

Name :

Postal address :

Place:
Date:

[F. No. 110-2/2013-Trade]

RAJBIR SINGH, Rana, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 655(E) dated the 7th July, 2001 and it was last amended vide notification S.O. 351(E) dated the 8th February, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.